



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2396]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2018/आषाढ़ 07, 1940

No. 2396]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2018/ASHADHA 07, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

का. आ. 3145(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जयपुर में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ की स्थापना करती है और उक्त प्रयोजन के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1935 (अ), तारीख 1 जून, 2016 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, —

(i) क्रम सं. 1 में, स्तंभ (4) में “(2) राजस्थान राज्य” प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा : —

| | | | |
|-----|---|-------|---------------------|
| “11 | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ | जयपुर | (1) राजस्थान राज्य” |
|-----|---|-------|---------------------|

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-45011/44/2018-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1935(अ), तारीख 1 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 345 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2018

S.O. 3145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby establishes the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench at Jaipur and for the said purpose further amends the notification of the Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E), dated the 1st day of June, 2016, namely:—

2. In the said notification, in the Table, -

- (i) in serial number 1, in column number (4), the entry “(2) State of Rajasthan”, shall be omitted;
- (ii) after serial number 10 and the entries thereto, the following shall be inserted namely:-

| | | | |
|-----|---|--------|--------------------------|
| “11 | National Company Law Tribunal, Jaipur Bench | Jaipur | (1) State of Rajasthan.” |
|-----|---|--------|--------------------------|

3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2018.

[F.No. A-45011/44/2018-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1935(E), dated the 1st day of June, 2016 and subsequent amendment was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 345(E), dated the 3rd February, 2017.